301

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांकः ..../2016 निगरानी R 4162-PBR/16

दिनाँक 7-12-16 को श्री चन्द्रशेखर पाठक द्वारा प्रस्तुत।

1. शीलाबती उर्फ शीला बाई पत्नि श्री ब्रजमोहन यादव पुत्री श्री मलखान सिंह यादव आयु लगभग 41 वर्ष व्यवसाय कृषि।
2. विश्वनाथप्रताप सिंह पुत्र ब्रजमोहन यादव आयु लगभग 25 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी बालमुकुन्द पुत्र रामलाल साहू आयु 25 वर्ष।
3. शिवप्रताप सिंह पुत्र ब्रजमोहन यादव आयु लगभग 25 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी बालमुकुन्द पुत्र रामलाल साहू आयु 23 वर्ष।समस्त निवासीगण – नारायण कॉलोनी आरोन तहसील आरोन जिला गुना म.प्र.. ....पुनर्रीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

नाथू सिंह चौहान पुत्र सुल्तान सिंह चौहान आयु लगभग 67 वर्ष व्यवसाय सेवानिवृत शिक्षक निवासी– लूसन का बगीचा कैंट तहसील व जिला गुना म.प्र. ....प्रतिपुनर्रीक्षणकर्ता

पुनर्रीक्षण अन्तर्गत धारा 50भू राजस्व संहिता अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग आरोन जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 40 अपील/वर्ष 2015 – 2016 में पारित अन्तर्वतीय अदेश दिनांक 11.11.2016 से व्यथित होकर यह पुनर्रीक्षण याचिका प्रस्तुत है।

महोदय,

पुनर्रीक्षणकर्तागण की ओर से पुनर्रीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि, पुनर्रिक्षणकर्तागण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की एक कृषि भूमि स्थित ग्राम इमलिया भूमि सर्वे क्र. 16/2 रकवा 2.106 है. है उक्त भूमि पर पुनर्रीक्षणकर्तागण ही काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है।
2. यहकि, पुनर्रीक्षणकर्ता क्र.1 द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य की उक्त भूमि का विधिवत् बटवारा श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्र. 3 अ 27/15/16 में पारित आदेश दिनांक 4.11.15 को किया गया है उसी दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4162–PBR/16 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–11–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 4–11–2015 को बटवारा आदेश पारित किया गया है, और दिनांक 16–11–2015 को शीलाबती पुत्री मलखानसिंह द्वारा भूमि का विकय नाथूसिंह को कर दिया गया है, अतः अनावेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की गई है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	